न्यूज़ टुडे

कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश 2025 जारी किया

अध्यादेश का उद्देश्य **गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए मौजूद खामियों को दूर** करना है।

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** में गिग वर्कर्स को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर किसी व्यवस्था में काम** करता है।
  - उन्हें मोटे तौर पर प्लेटफ़ॉर्म (जैसे ज़ोमैटो) और गैर-प्लेटफ़ॉर्म-आधारित वर्कर्स में वर्गीकृत किया गया है।
- नीति आयोग के अनुसार भारत में **गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स** की संख्या 2020-21 में 7.7 **मिलियन** थी। इसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं

- **कल्याण बोर्ड:** राज्य स्तर पर 'कल्याण बोर्ड' की स्थापना की जाएगी।
- **कल्याण शुल्क:** जोमैटो, ओला, स्विगी, अमेज़न जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के साथ किए गए प्रत्येक लेन-देन पर 1 से 5 प्रतिशत तक कल्याण शुल्क का भुगतान करेंगे।
  - कल्याण शुल्क **कल्याण कोष** में जमा किया जाएगा, जिसमें वर्कर्स का योगदान और सरकारी अनुदान भी शामिल होगा।
- **अन्य विशेषताएं:** यह वर्कर्स की अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, सभी प्लेटफॉर्म्स पर वैध विशिष्ट आई.डी. तथा प्लेटफॉर्म्स द्वारा तैनात स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों के संबंध में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां: सामाजिक सुरक्षा का अभाव, एल्गोरिदम प्रबंधन, नौकरी की अनिश्चित प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, आदि।

भारत में गिग वर्कर्स के लिए की गई अन्य पहलें

- राजस्थान ने **राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023** पारित किया है।
- **झारखंड** ने 2024 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक **मसौदा विधेयक** प्रस्तुत किया था।
- **असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत कामगारों का डेटाबेस तैयार** करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने **ई-श्रम पोर्टल** लॉन्च किया है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सके। इसमें **गिग वर्कर्स** भी शामिल हैं।

प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूचबिहार में सिटी गैस वितरण (CGD) परियोजना की आधारशिला रखी

इससे **गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, लागत प्रभावी ईंधन उपलब्ध होगा और समग्र आर्थिक विकास** सुनिश्चित होगा।

- इससे **"एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड"** के विज़न को साकार करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, 2030 तक भारत की प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में **प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़** जाएगी।

CGD नेटवर्क

- **CGD नेटवर्क के बारे में:** यह PNG कनेक्शन, CNG स्टेशनों और पाइपलाइन अवसंरचनाओं के माध्यम से **पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) एवं संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की आपूर्ति के लिए भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों** की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है।
  - CNG का उपयोग **ऑटो-ईंधन** के रूप में किया जाता है, जबकि PNG का उपयोग **घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों** में किया जाता है।
  - **प्राकृतिक गैस,** ऊर्जा का एक **जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत** है। यह मुख्य रूप से **मीथेन (CH4)** से बना एक **गंधहीन व गैसीय हाइड्रोकार्बन मिश्रण** है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) की भूमिका:** यह अधिनियम किसी **निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area)** में CGD नेटवर्क विकसित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करता है।
  - PNGRB का गठन **PNGRB अधिनियम, 2006** के तहत किया गया था, ताकि **पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस** से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सके।
- **प्रमुख उपलब्धियां:**
  - **CGD नेटवर्क:** PNGRB ने (12/12A CGD बोली दौर के बाद) पूरे देश को कवर करते हुए **307 भौगोलिक क्षेत्रों** में CGD नेटवर्क विकास को अधिकृत किया है।
    - वर्तमान में इसका विस्तार **550 जिलों** तक हो गया है। 2014 में कुल 66 जिलों तक विस्तार हुआ था।

CGD नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **ऊर्जा गंगा परियोजना:** इसके तहत **गैस पाइपलाइन को पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने** का काम हो रहा है।
- **अन्य:** CGD क्षेत्रक को घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना; CGD परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा प्रदान करना; रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के आवासीय क्षेत्रों में PNG के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी करना आदि।

मौजूदा चुनौतियां

परियोजना लागत: पाइपलाइन अवसंरचना की लागत परियोजना लागत की लगभग 50% है।

संकेन्द्रित उपभोग: दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों तक।

एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां: CGD लाइसेंसधारियों को विशेष भौगोलिक क्षेत्र आवंटित कर दिए जाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है।

भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य आकलन रिपोर्ट (ISSAR), 2024 जारी की गई

यह रिपोर्ट इसरो की अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) गतिविधियों के अंतर्गत **इसरो सुरक्षित एवं दीर्घकालीन अंतरिक्ष प्रचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM) द्वारा प्रतिवर्ष संकलित** की जाती है।

- SSA में **अंतरिक्ष आधारित दशाओं की जानकारी, खतरों का आकलन और शमन संबंधी उपायों का कार्यान्वयन** शामिल है।

इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **प्रक्षेपित एवं परिचालनरत अंतरिक्ष यान:** कुल **136 अंतरिक्ष यान** प्रक्षेपित किए जा चुके हैं।
  - **सरकार के स्वामित्व वाले कार्यरत उपग्रह:** इनकी संख्या **निम्न भू-कक्षा (LEO) में 22 और भू-तुल्यकालिक भू-कक्षा (GEO) में 31** है।
  - **कार्यरत डीप स्पेस मिशंस:** चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (CH2O) और सूर्य-पृथ्वी से संबंधित लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित आदित्य-L1.
- **कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स (टकराव से बचने के उपाय) (CAMs):** इसरो ने 2024 में 10 कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स का निष्पादन किया था।
- **वायुमंडल में पुनः प्रवेश:** 2024 में कार्टोसैट-2 सहित 9 भारतीय उपग्रहों ने वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया था।
- **अंतरिक्ष यान को डीकमीशन करना:** स्कैटसैट-1 को INS-2B और EOS-7 के साथ मिशन समाप्त होने के बाद डी-ऑर्बिट किया गया था। यह प्रक्रिया संबंधित अंतरिक्ष मिशन के बाद की नियमित कार्यवाही का हिस्सा होती है।

वैश्विक परिदृश्य

- **प्रक्षेपण: 2024 तक 254 सफल प्रक्षेपण** संपन्न हुए, जिनमें कुल 2963 ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में भेजे गए।
- **3 प्रमुख ऑन-ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स:** इनमें सबसे प्रमुख **लॉन्ग मार्च रॉकेट चरण (CZ-6A) का विखंडन था,** जिससे लगभग 650 ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष मलबे की सूची में शामिल हो गए।

- **PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM):** यह प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने वाला मिशन है। इसमें POEM-3 और POEM-4 के अपर स्टेज को **350 किमी की ऊंचाई पर डी-ऑर्बिट** कर दिया गया था।
- **अंतरिक्ष क्षेत्रक में अग्रणी:** भारत वर्तमान में **बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह का अध्यक्ष है।**
  - इसरो ने **2023-24 के लिए इंटर-एजेंसी डेब्रिज कोआर्डिनेशन कमेटी (IADC) की अध्यक्षता की थी और 42वीं वार्षिक IADC बैठक की मेजबानी की है,** जहां इसने निम्नलिखित में योगदान दिया:
    - **IADC अंतरिक्ष मलबा शमन दिशा-निर्देशों** में संशोधन।
    - **डेब्रिज फ्री स्पेस मिशन (DFSM)** की घोषणा की है। इसे 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जाएगा, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी।

केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं (CSs) के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू की

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं (CSs) के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की यह प्रक्रिया **अगले पांच वर्षों के लिए इन्हें जारी रखने हेतु शुरू** की गई है।

- उपर्युक्त योजनाओं की **नई पंचवर्षीय अवधि 1 अप्रैल, 2026 से शुरू** होगी। यह अवधि **16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कार्यकाल** के अनुरूप होगी।
- वर्तमान में **54 केंद्र प्रायोजित योजनाएं और 260 केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं** हैं, जिन्हें आगे जारी रखने के लिए **31 मार्च, 2026 तक अनुमोदित** करना होगा। अनुमोदन से पहले इन **योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन** किए जाने की संभावना है।

मूल्यांकन (Appraisal) और अनुमोदन (Approval) से संबंधित मुख्य बिंदु

- **प्रावधान: 2016 के केंद्रीय बजट** में योजनाओं का **मूल्यांकन और अनुमोदन अनिवार्य** किया गया था। नए प्रावधान के तहत **प्रत्येक योजना की समाप्ति की तिथि (Sunset Clause) निर्धारित** होनी चाहिए। साथ ही, योजनाओं को आगे जारी रखने की मंजूरी देने से पहले **आउटकम-आधारित समीक्षा** होनी चाहिए।
- **मूल्यांकन करने वाली संस्थाएं:**
  - **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** का मूल्यांकन **नीति आयोग** के अंतर्गत **विकास निगरानी एवं मूल्यांकन संगठन (DMEO)** द्वारा किया जाता है।
  - **केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं** का मूल्यांकन **संबंधित मंत्रालयों** द्वारा चयनित **तीसरे पक्ष की एजेंसियों** द्वारा किया जाता है।
- **महत्त्व: मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - अनुपयोगी और अप्रभावी प्रावधानों या उपायों को हटाना,
  - समान उद्देश्य वाली योजनाओं का विलय करना,
  - ऐसी योजनाओं को समाप्त करना, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, तथा
  - सीमित लोक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के बारे में

- ये योजनाएं **केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित** होती हैं।
- इन्हें **राज्य सरकारों के माध्यम से लागू** किया जाता है।
- ये योजनाएं उन **क्षेत्रकों से संबंधित** होती हैं, जो **राज्य सूची** और समवर्ती सूची में आते हैं।
- इन्हें **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है: कोर ऑफ द **कोर योजनाएं,** कोर योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं।

केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं (CSs) के बारे में

- ये योजनाएं **100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित** होती हैं।
- इन्हें सीधे **केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों या उनकी एजेंसियों द्वारा लागू** किया जाता है।
- आमतौर पर ये योजनाएं **संघ सूची में आने वाले क्षेत्रकों** से संबंधित होती हैं।

दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का दिल्ली में उद्घाटन किया गया

इसकी क्षमता 20-MW (40 MWh) है। इसे BRPL (BSES राजधानी पावर लिमिटेड) सबस्टेशन पर स्थापित किया गया है। यह भारत की "पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत" उपयोगिता-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी है।

- यह उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) तकनीक का लाभ उठती है, जो बेहतर सुरक्षा, तापीय स्थिरता और स्थायित्व के लिए जानी जाती है।
  - लिथियम-आयरन फॉस्फेट ($LiFePO_4$) बैटरियों में, कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड की बजाय लिथियम मेटल फॉस्फेट से बना होता है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के बारे में

- **इसके बारे में:** यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करती है तथा अत्यधिक जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है।
- **महत्त्व:** भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक है; नवीकरणीय ऊर्जा में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मददगार है, आदि।
  - राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2023 के अनुसार 2031-32 तक 236 GWh BESS की आवश्यकता होगी।
- BESS के दो प्रमुख प्रकार है:
  - **पारंपरिक ठोस रिचार्जेबल बैटरियां:** इनमें ऊर्जा ठोस धातु इलेक्ट्रोड्स में संग्रहित होती है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:
    - लेड एसिड बैटरी (एनोड- लेड, कैथोड- लेड डाइऑक्साइड);
    - लिथियम आयन बैटरी [एनोड- ग्रेफाइट, कैथोड- लिथियम ऑक्साइड ($LiMO_2$; M=Co, Ni)];
    - जिंक एयर बैटरी (एनोड- जिंक, कैथोड- एयर/ ऑक्सीजन); तथा
    - सोडियम सल्फर (NaS) (एनोड- सोडियम, कैथोड- सल्फर)।
- **फ्लो बैटरियां:** इनमें ऊर्जा तरल इलेक्ट्रोलाइट्स में संग्रहित होती है जो अलग-अलग टैंकों में रखे जाते हैं। उदाहरण: वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिंक-आयरन फ्लो बैटरी, जिंक-ब्रोमीन बैटरी, आदि।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें

- 13,200 मेगावाट BESS का समर्थन करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के संवर्धन के लिए नेशनल फ्रेमवर्क 2023.
- 30.06.2025 तक चालू होने वाली BESS परियोजनाओं को अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट दी जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान RBI के कामकाज के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **RBI की परिसंपत्ति में वृद्धि:** यह सोने, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के कारण हुई है।
  - वित्त वर्ष के दौरान आय में 22.77% तथा व्यय में 7.76% की वृद्धि हुई।
- **उच्चतर बचत:** वित्त वर्ष 24 में निवल घरेलू बचत सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के 5.1% तक बढ़ गई है।
  - राष्ट्रीय प्रयोज्य आय = बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (सकल राष्ट्रीय उत्पाद - मूल्यह्रास) + शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण।
- **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) या ई-रुपया:** मार्च 2025 के अंत तक बाजार में इनका संचरण बढ़कर 1,016 करोड़ रुपए हो गया है।
  - RBI अब सीमा-पार भुगतान में प्रायोगिक तौर पर CBDC का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है।
  - खुदरा और थोक के लिए भी CBDC का प्रायोगिक तौर पर विस्तार किया जाएगा।
  - CBDC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत की भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप है।
- **न्यूनतम ऋण अनुपात:** भारत का बाह्य ऋण-GDP अनुपात दिसंबर 2024 में 19.1% रहा, जो उभरते बाजारों में सबसे कम है।
- **सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था:** RBI ने 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** अनुमान है कि इसमें कमी आएगी और यह 2025-26 में धीरे-धीरे RBI द्वारा निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी।
- **करेंसी-डिपॉजिट अनुपात:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के कारण यह मार्च 2025 तक घटकर 15.4% हो गया है।

अन्य सुर्ख़ियां

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के साथ दीव भारत का पहला जिला बन गया है, जो अपनी सम्पूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूर्ण कर रहा है।

पीएम-सूर्य घर के बारे में: मुफ्त बिजली योजना

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **सबंधित मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- **योजना की विशेषताएं,**
  - घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
  - यह सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी।
  - इससे देशभर में 1 करोड़ घरों को लाभ होने की उम्मीद है।
  - योजना के तहत नए कौशल और कौशल उन्नयन के माध्यम से 3 लाख से अधिक कुशल कार्यबल तैयार किया जाएगा।

ऑपरेशन चक्र-V

हाल ही में, CBI (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) ने ऑपरेशन चक्र-V के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट के कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

ऑपरेशन चक्र-V के बारे में

- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध/ डिजिटल अरेस्ट पर अंकुश लगाना है।
- **डिजिटल अरेस्ट क्या है?**
  - यह एक ऑनलाइन ठगी है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर डर और धमकी के जरिए लोगों से पैसे वसूलते हैं।
  - वे लोगों को गिरफ्तारी, बैंक खाता फ्रीज होने, पासपोर्ट रद्द होने जैसी धमकियाँ देते हैं।
- **साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के अन्य उपाय:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), आदि।

नोमैडिक एलीफेंट युद्धाभ्यास

भारत-मंगोलिया के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का 17वां संस्करण **मंगोलिया के उलानबटोर** में आयोजित किया जाएगा।

- **यह भारत और मंगोलिया में प्रतिवर्ष** तथा वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है ।
- इसका पिछला संस्करण (2024) **उमरोई, मेघालय में आयोजित** किया गया था।
- इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश** के तहत अर्ध शहरी/ पहाड़ी इलाकों में **अर्ध पारंपरिक अभियानों** के तहत संयुक्त टास्क फ़ोर्स को नियोजित करके दोनों सेनाओं के बीच **इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाना है।**

विकसित कृषि संकल्प अभियान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने **ओडिशा के भुवनेश्वर** में स्थित ICAR-केंद्रीय मीठाजल जलीय कृषि संस्थान (ICAR-CIFA) से **विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA-2025) का शुभारंभ किया।**

- इस मौके पर CIFA Argu VAX–I नामक एक नई मछली वैक्सीन भी जारी की गई, जो मछलियों में परजीवी संक्रमण से बचाव करती है। इसे ICAR-CIFA ने विकसित किया है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में

- **लक्ष्य:** प्रौद्योगिकी प्रसार, क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर सहभागिता के माध्यम से पूरे भारत में **1.5 करोड़ से अधिक किसानों** तक पहुंचना।
- **प्रयोगशाला से भूमि तक:** वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों की टीमें 700 से अधिक जिलों की यात्रा करेंगी और **गांवों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी तथा** किसानों को **आधुनिक कृषि** के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी ।

तियानवेन-2 प्रोब

चीन ने मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्रग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए **तियानवेन-2 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया।**

- इससे पहले, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक **रोवर (ज़ूरोंग) से युक्त तियानवेन-1 प्रोब 2021** में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।
- **तियानवेन-3 का** प्रक्षेपण 2028 के आस-पास होना है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर लाना है।
- **तियानवेन-4 का लक्ष्य** 2030 के आस-पास **बृहस्पति ग्रह का** अन्वेषण करना है।

तियानवेन-2 प्रोब के बारे में

- **प्रक्षेपण यान:** लॉन्ग मार्च 3-B रॉकेट।
- **उद्देश्य: क्षुद्रग्रह 2016HO3** से सैंपल एकत्र करना तथा **मेन बेल्ट में मौजूद धूमकेतु 311P का अन्वेषण करना,** जो मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से और अधिक दूर स्थित है।
- **मिशन की अवधि:** 2027 के अंत तक।

बायोस्टिमुलेंट्स

केंद्र सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 34 बायोस्टिमुलेंट्स की अधिसूचना जारी की।

बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में

- बायोस्टिमुलेंट्स **प्राकृतिक या जैविक स्रोतों से प्राप्त ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों/ फसलों की वृद्धि, पोषक तत्वों के अवशोषण, और आघातों को सहने की क्षमता** को बढ़ाते हैं।
  - **उदाहरण: समुद्री शैवाल** (जैसे- **सारगैसम, उल्वा**), **ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड** आदि।
- इनका पंजीकरण **फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर** (FCO) 1985 के तहत किया जाता है।

अग्र सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति/PRAGATI)

हाल ही में प्रधान मंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए **प्रगति बैठक की अध्यक्षता की।**

प्रगति/PRAGATI के बारे में

- **उत्पत्ति: प्रगति की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह बहुउद्देश्यीय, बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है।**
- **उद्देश्य:**
  - आम जनता की शिकायतों का समाधान करना।
  - केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना।
  - राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित की गई परियोजनाओं की भी समीक्षा करना।
- **त्रिस्तरीय प्रणाली:** PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव।
- **प्रमुख विशेषताएं:** विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण आने वाली अड़चनों को दूर करता है और अनुवर्ती कार्रवाई और निरंतर समीक्षा के लिए निर्णयों को ट्रैक करना।
- **उपलब्धियां: जून 2023 तक,** इस प्लेटफॉर्म ने 17.05 लाख करोड़ रुपये (205 बिलियन डॉलर) मूल्य की **340 परियोजनाओं की समीक्षा की है।**

तिरुक्कुरल

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (CICT) ने **तिरुक्कुरल का चार मध्यम और लघु द्रविड़** भाषाओं-कुरुख, गोंडी, माल्टो और ब्राहुई में अनुवाद करवाने का कार्य शुरू किया है।

तिरुक्कुरल के बारे में

- **लेखक: तिरुवल्लुवर।**
- **काल:** दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पांचवीं शताब्दी ईस्वी के बीच।
- **तिरुक्कुरल** तीन प्रमुख भागों में विभाजित है- आराम (सद्गुण), पोरुल **(सरकार और समाज), और इनबम (प्रेम)।**
- यह **1,330 पदों (कुरालों)** का संग्रह है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

पनामा (राजधानी: पनामा सिटी)

पनामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया।

भौगोलिक अवस्थिति:

- **अवस्थिति:** यह मध्य अमेरिका में स्थित देश है। यह इस्थमुस पर बसा हुआ है। इस्थमुस भूमि का वह संकीर्ण टुकड़ा होता है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है।
- **प्रादेशिक सीमाएं:** इसके पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया स्थित है।
- **समुद्री सीमाएं:** इसके उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **पनामा नहर:** यह एक **कृत्रिम जलमार्ग** है जो **अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता** है। यह स्वेज नहर के समान विश्व की प्रमुख रणनीतिक नहरों में से एक है।